

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या 33/2023 खाद्य सुरक्षा

**उनवान प्रकरण**

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

**बनाम**

1. राजेश शर्मा पिता प्रकाशचन्द्र शर्मा मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर, बी - 129, आजाद नगर, भीलवाड़ा
2. मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर, बी - 129, आजाद नगर, भीलवाड़ा
3. बालकृष्ण अग्रवाल पुत्र रामगोपाल अग्रवाल मैसर्स श्रीराम सेल्स ऐजेन्सी, बाजार नं.02, विजय होटल के पास, भीलवाड़ा
4. मैसर्स श्रीराम सेल्स ऐजेन्सी, बाजार नं. 02, विजय होटल के पास, भीलवाड़ा
5. COFCO International India Private Limitd, Survey No. 303, Opp to Rama cylinder, village Bhimasar, The. Anjar, Distt Kutch, Gujrat.

— प्रार्थी

—विपक्षी



जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी 1-4 स्वयं उपस्थित ।
- 3 श्री शंकर चौधरी, पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 05 की ओर से

**आदेश**

दिनांक 19.09.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक

धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.07.2023 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित। विपक्षी की ओर से जवाब पेश।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि रिफाईण्ड सोयाबीन तेलनमूना एक्स-1395 में Nutritional Information – Given but quantity of omega-6 fatty acid not declared in label., Contravention of Regulations No. (5)(3)(b) of Food Safety and standards (Labeling and display) Regulations, 2020 Chapter 2. का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वर्तमान में विपक्षी पर लगाया गया आक्षेप बेबुनियाद है और फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा खाद्य




display) Regulations, 2020 Chapter 2. का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 से 05 द्वारा मिसब्राण्डेड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का विक्रय/निर्माता द्वारा किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी संख्या 01 से 05 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी संख्या 01 से 05 द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 व 02 पर 25,000/-रूपये, विपक्षी संख्या 03 व 04 पर 50,000/-रूपये, विपक्षी संख्या 05 पर 2,25,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त कुल शास्ति राशि 3,00,000/- रूपये निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम 2006  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
शीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 राजेश शर्मा पिता प्रकाशचन्द्र शर्मा मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर, बी - 129, आजाद नगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।